फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण

बिरदीचन्द बनाम चेतनलाल वगै0

प्रार्थना पत्र संख्या : 168/2023

	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	25.11.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील उभय पक्षों की बहस प्रार्थना पत्र धारा 131, 136 एल0आर0एक्ट पर सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 26.11.2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ	
	26.11.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली में उपल्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया तथा वकील उभय पक्षों की बहस का मनन किया गया। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थन पत्र में अंकित बिन्दूओं को दौहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम फूटोलाव, तहसील आंधी, जिला जयपुर ग्रामीण में स्थित भूमि गत खसरा नम्बर 150/1, 150/2, 85 के नवीन खसरा नम्बर 73, 74/1, 74/2 के नवीनतम खसरा नम्बर 95, 96, 97 का पूर्वानुसार अंकन करते हुए पूर्व से चले आ रहे कब्जे काश्त अनुसार गत नक्शें के अनुसार तरमीम दुरूस्त कर नक्शा कायम किया जावें। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दूओं को ताईन्द करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य/कथन मनगठन्त व काल्पनिक व आधारहीन होने के कारण अस्वीकार है। क्योकि प्रार्थीगणो का आज तक किसी भी प्रकार कब्जा काश्त नही रहा है, ओर न ही सेटलमेंट विभाग द्वारा अवैध रूप से किसी भी दिशा मे नवीन खसरा नम्बर 106 मे रकबा बढाया गया है इसलिए प्रकरण एकीकरण से पूर्व बहुत पुराना होने के कारण माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नही आता है, और प्रार्थीगणों द्वारा झुठे तथ्य पर पेश कर प्रार्थना पत्रों की संख्या बढाना एवं कोर्ट का समय जाया कर अप्रार्थीगणों को परेशान करने के उद्वेश्य से किया गया प्रार्थना पत्र आज ही खारिज किया जावें। अतः पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थी का प्रार्थना पत्र, पैरोकार सरकार की रिपोर्ट यह स्पष्ट करती है कि रकबा बरारी करने पर साबिक एवं नवीन खसरा नम्बर के रकबे मे किसी भी प्रकार का अन्तर नही है, जवाब प्रार्थना पत्र व अन्य दस्तावेजात का अवलोकन करने व बहस का मनन करने पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राज0 भू0राजस्व अधिनियम को पोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है। निर्णय आज सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दफ्तर दाखिल हों। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ	